



2026:AHC:57874

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2132/2026

सुखराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मनोज पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री मनोज पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री आशीष कुमार त्रिपाठी, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 71/2019, अन्तर्गत धारा 308, 323, 504 आई.पी.सी., थाना राजपुरा, जिला संभल, में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा सूचनाकर्ता के प्रकथन में आवेदक के विरुद्ध सामान्य और व्यापक अभिकथन लगाए गए हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा आवेदक को मारपीट की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, तथापि, कुछ समय पश्चात सूचनाकर्ता ने एक शपथपत्र दायर किया है, जिसमें उसने आवेदक को मारपीट की विशिष्ट भूमिका सौंपी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक विचारण में सहयोग करने हेतु तैयार एवं इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह अभिकथित किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता पक्ष पर मारपीट करने का अभिकथन किया गया है तथा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित सूचनाकर्ता/घायल के प्रकथन में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, तथापि, सूचनाकर्ता ने पश्चातवर्ती रूप से एक शपथपत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि आवेदक ने ही उस पर हमला किया तथा उसके सिर पर कटा हुआ घाव और माथे की अस्थि भंग होने का अभिकथन किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694**, के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका तथा वाद की सभी संलग्न तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

9. आवेदक- **मुखराम** की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू प्रत्येक उसी धनराशि की प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

आरकेएम